न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 417/2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

नूर हसन पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. महंगा खाँ पुत्र वली मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. मोहम्मद सलमान पुत्र वली मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सावन माही पुत्र वली मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. इमाम हुसैन पुत्र वली मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. गुलजारा बीबी पुत्री वली मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. निसारा बीबी पुत्री वली मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. सावन पुत्र मुनीर पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. अलीशेर पुत्र मुनीर पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. मोहमद रमजान पुत्र मुनीर पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. मन्जूर पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. नूर अहमद पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. सलमान खान पुत्र अमीरदीन सरंक्षक सरपरस्त माता नूरहसन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-
वादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 7.8.2024

वादी नूर हसन ने प्रतिवादीगण महंगा खाँ वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 ता 12 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 62/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.8428 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं [illegible] समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार [illegible] होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के अब्बा [illegible] पर [illegible] करने के कारण व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर [illegible] व प्रतिवादी सं. 1 ता 23 के मध्य विवाद हो गया [illegible] गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी [illegible] के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1 ता [illegible] उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। क्योकि प्रतिवादी सं. 1 ता 12 ने अपने हक व

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.09.07 12:32:53
Reason: SelfAttested

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

हिस्सा की कृषि भूमि अन्य चकों में बंटवारानुसार प्राप्त कर ली थी। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ता 12 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैः-

(क) **वादी नूर हसन पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि:-** तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 62/50 जमाबन्दी सम्वत 2071-74 में 0.0.8428 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 12 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 12 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 12 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 13 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 62/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र. सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 12 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 12 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 ता 12 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 62/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.0.8428 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 12 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 12 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 12 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 ता 12 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.8428 है. कृषि भूमि का वादी को [illegible] काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 7 ता 12 का नाम [illegible]

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक [illegible] नही है तो अ[illegible] दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। प[illegible] तरतीब तकमील नम्ब[illegible] पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद [illegible] कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 7-8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.07 12:32:53
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 417/2024

नूर हसन पुत्र वली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

महंगा खाँ पुत्र वली मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
मोहम्मद सलमान पुत्र वली मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
सावन माही पुत्र वली मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
इमाम हुसैन पुत्र वली मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
गुलजारा बीबी पुत्री वली मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
निसारा बीबी पुत्री वली मोहम्मद पुत्र मोहम्मददीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
सावन पुत्र मुनीर पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
अलीशेर पुत्र मुनीर पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
मोहम्मद रमजान पुत्र मुनीर पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
मन्जूर पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
नूर अहमद पुत्र अमीरदीन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
सलमान खान पुत्र अमीरदीन सरंक्षक सरपरस्त माता नूरहसन जाति मुसलमान निवासी किकरवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 7.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना**(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 12 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 7 ता 12 के नाम से तहसील संगरिया के चक 6 डी.एल.पी. के खाता सं. 62/50 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.0.8428 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 7 ता 12 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ......X...... निल ......X...... मुब्लिक ......X...... निल ...... जो आज की ...... निल......X...... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीस ...... वसूलयाबी तक ......X......को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक ......7-8-2024...... को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:32:53
Reason: SelfAttested